रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3324] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 10, 2019/आश्विन 18, 1941
No. 3324] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 10, 2019/ASVINA 18, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3654(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1654 (अ), तारीख 16 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 17 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं किए गए;

अचनकमार बाघ रिज़र्व का क्षेत्र 914.017 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ राज्य में मुंगेली जिला के लोर्मी तहसील में स्थित है।

और, अचनकमार बाघ रिज़र्व समृद्ध पर्यावास के लिए जाना जाता है जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवजंतुओं में स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछली तितलियों और विविध प्रकार के कीड़े मकोड़ों और समृद्ध जैवविविधता और वनों के साथ प्राकृतिक भू-दृश्य की सुंदरता के लिए मणियारी, कसनाई, रक्ष्क्षक, मतिनाल सम्मिलित हैं। अचनकमार बाघ रिज़र्व की महत्त्वपूर्ण वनस्पति में मानीयारी, कसानाइ, रक्ष्क्षक, मातीनाला आदि सम्मिलित हैं। जबकि बाघ रिज़र्व की झाड़ियों में साल *(सोरटिा रोबुस्टा),* साजा *(टर्मिनलिया टोमेंटोसा),* बीजा *(पटेरोर्कापुस मरसुपीयम),* धयरा *(अनोगेइस्सूस लटीफोलिया),* हल्दु *(अदीना कर्दीफलोरा),* हर्रा *(टर्मिनलिया चेबूला),* कुसुम (*स्केचेरा ओलेओसा),पदर*

(स्टेरेओप्सेरसुम सुअवोलेंस), कसाइ (बरीदेलिया रेटुसा), लंदीया *(लागेरस्टराइमिया परविफ्लोरा),* जमुन *(सयगीयम कुमीनी), महुआ (मधुका इंडिका),काला–*सीरिस *(अल्बिजिया लेब्बेक),* सीसम *(डाल्बेरिया लटीफोलिया),खाइर (अकासिया कटेचु),* कुल्लु *(स्टेरेकुलिया अरेंस) आदि* है। संरक्षित क्षेत्र से पर्वतारोहियों जैसे अचार (*बुचानानिया लंजान),*बरांगा *(कयदीया कालेयचीना),* टोंदरी (*कसेरिया टोमेंटोसा), कचनार* (*बयहीनिया वेरिगाटा),*अपमारग (*अचयरांथुस असपेरा),* बीबीदंग (*इमबेलिया रोबुस्टा),* बंतुल्सी *(गरेविया रोथी),* धाविया (*वूडफोर्दिया फ्लोरीबुंदा),*चीरोटा (कसिया टोरा*), बइबीरंग* (*इम्बेलिया टजेरम्कोट्टाम)* आदि, महुल *(बयहीनिया वहलिया),*पलासबेल (*बुटेया सुपेबे),* रामदाथून *(सिमिलाक्स मकरोफयल्ला),* पइबेल *(कोम्बरेतुम दिकेंद्रम),* रओनी *(अकेशिया पेन्नाटा),* दोकारबेल (*किस्सूस रेपंदा)* आदि अभिलिखित किए गए हैं;

और, अचनकमार बाघ रिज़र्व में महत्त्वपूर्ण घासें और बांस (देंद्रोकालामस स्टीक्टुस*),* चीरा (थेमेडा ओयादरीवल्वीस*),* छेइर (इमपेराटा सायलिंदरीकल*), मुसेल* (लसेइलेमा नेर्वोसुम*),* भुरभुरी *(इराग्रोस्टीस टेनेल्ला),*खास*(वेटीवेरा जिजानीओइदेस),* कुसाल *(हेटरोपोगोन कोंटोर्टुस),* सबाइ *(इयुलाइओपसीस बिनाटा)* आदि हैं। अचनकमार बाघ रिज़र्व से औषधीय पौधों जैसे सफेद मुसली *(चलोरोफतुम तुबेरोसुम),* काली मुसली *(कुरूलीगो ओरचीओइदेस),* तीखुर *(कुरकुमा उनगुस्टीफोलिया),* कवांच *(मकुना परयरीइंस), मरोफलिया (हेलिकटेरेस इसओरा),सतवार (असपरागुस रेकेमोसुस)* आदि अभिलिखित किए गए है।

और, अचनकमार बाघ रिज़र्व में वन्यजीवों की प्रचुरता है क्योंकि इसमें बहुत बृहत् घास भूमि है जो कि शाकाहारियों के लिए एक अच्छा पर्यावास है और बाघ, पेंथर और अन्य मांसाहारियों के लिए समृद्ध शिकार का आधार है बाघ रिज़र्व से महत्त्वपूर्ण जीवजंतु बाघ (*पेन्थेरा टीगरीस),* तेंदुआ (*पेन्थेरा पार्डस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), जंगली कुत्ता (*क्रयोन अल्पाइन*), गौर (बूस *गयरूस),* चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), सांभर (*करवस यूनीक्लोर*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), चौसिंगा (टेटराकेरूस क्यदरीकोरनिस*),* बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), रैटल (मिल्लिवोरा कपेंसिस*),* अजगर (पायथन मोलुरूस*),* मोनिटर लिर्जाड (*वरनुस मोनिटर),* नाग *(नाजा नाजा),* अहीराज *(बुंगरूस फस्सटस),* रूस्सेल वीपेर *(वीपेर रूस्सेल्ली) आदि अभिलिखित किए गए हैं। संरक्षित क्षेत्र में मुख्य पक्षी प्रजातियां* जैसे बाटेर *(परदीकुला असीअसीअटीका), हरिअल (ट्रेरोन फोइनीकोपटेरा),* मोर (*पवो करीस्टेटस),* सारस (*गरूस अतीगोना),* तीतर (काला) (*फरांकोलीनुस पिक्टुस),* फिंगा (दीकरूरूस *लेयकोफउस),* जाक्की (*मुस्कीकापा दयरीका),* कोइल (इयदयनमयस *स्कोलोपकेया),* पचनाक (*लनीउस वीट्टाटुस), कोतवाल* (*दीकरूरूस मकरोकेर्सूस),* मयूर, मोर (पवो *करीस्टटुस),* पीलक (*ओरीओलुस कुंदू),* कटफोदवा (*दीनोपीयम बेंघालेंसे),* शमा (*कोपसयशहुस मालाबरीकुस),* शकारी मुनिया (*लोंछुरा स्टेरीअटा),* नीलरंग (*कोर्निस टीक्केलीया),* चितकबरा (पदकी) (*स्टेपटोपेलिया चेनेंसिस),* पुलक (*कलांदरेल्ला बराचयदकटयला),* लयबर टोटा (*पसीट्टाकुला करामेरी), नेल्कांथ* (*केराकीअस बेंघालेंसिस*) आदि पाई जाती है;

और, अचनकमार बाघ रिज़र्व में गुदमार *(गयम्नेमा स्यलवेस्टरीस)* हदजोड *(कीस्सूस क्यूअद्रांगुलारीस,* सतपुड तेंदुआ छिपकली (*इयलेफरीस हरदवीक्की*), बैडेंड करैत *(बुंगरूस फसकीअटुस),* छिपकली *(मनीस करास्सीकयडाटा),* भेडिया *(कैनिस लुपुस पल्लीपस),* चौसींगा मृग और फोर होर्नड एंटीलोप (*टेटराकेरूस क्यूदरीकोरनीस*), भारतीय जंगली कुत्ता *(कुअन अल्पीनेस)* आदि महत्तवपूर्ण लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां हैं;

और, अचनकमार बाघ रिज़र्व अचनकमार-अमरकंटक जीवमंडल रिज़र्व में आश्रय स्थलों और घोसलों की बहुतायत है जो इसकी एक अद्भुत विशेषता है। अचनकमार बाघ रिज़र्व बाघ में कई बाघ गलियारें मिलतें हैं जो इसको क्षेत्र के मुख्य बाघ रिजर्वों से जोड़ते है और यह बाघ क्रियाकलाप का केंद्र है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी–पर्यटन की क्षमता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान जैसी विशेषताएं जिन्हें सही रूप में बढ़ावा दिया गया है।

और, अचनकमार बाघ रिज़र्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में अचनकमार बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 8.49 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को अचनकमार बाघ रिज़र्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरें निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 438.951 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और संरक्षित क्षेत्र का विस्तार 0 (शून्य) किलोमीटर से 8.49 किलोमीटर तक है। मध्य प्रदेश के साथ अंतरराज्य सीमा के निकटवर्ती द्वारा उत्तर- पश्चिम दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार शून्य है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार विभिन्न दिशाओं में है:-

उत्तर	4.1 किलोमीटर
उत्तर - पूर्व	3.8 किलोमीटर
पूर्व	6.2 किलोमीटर
दक्षिण- पूर्व	5.3 किलोमीटर
दक्षिण	1.0 किलोमीटर
दक्षिण -पश्चिम	8.49 किलोमीटर
पश्चिम	2.1 किलोमीटर
उत्तर -पश्चिम	0.0 किलोमीटर

(2) अचनकमार बाघ रिज़र्व और इनके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में संलग्न है ।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ अचनकमार बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख, उपाबंध-II ग, उपाबंध-II घ, उपाबंध-II ड** और **उपाबंध-II च** के रूप में संलग्न हैं ।

(4) अचनकमार बाघ रिज़र्व और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांको की **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(4) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में संलग्न हैं ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

IndiaCode

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना उक्त महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) नगर विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में विद्यमान अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान, कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा। इसमे स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय और संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद प्रमोद के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

IndiaCode

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवश्यकताओं जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी है; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि प्रादेशिक नगर नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन**.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रुप में होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी नये होटल या रिजॉर्ट का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु, यह भी कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतो (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचनाओं, जल प्रपातों, झरनों, दर्रों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वारोहण, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी परिरक्षण और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.–** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारण मानकों के या पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक अठोर हों, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** यानीय-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों जिसमें वन

(संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

ख. विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर का परिनिर्माण और तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचना।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार किया जाना।

IndiaCode

15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार किया जाना।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी के तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अनुसार अनुज्ञात होगा।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआं, बोर कुआं, आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
27.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

35.	बागान लगाना और औषधीय पौधों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.-केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	**मानीटरी समिति का संघटक**	**पद**
1.	कलेक्टर, मुंगेली	अध्यक्ष, पदेन;
2.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिये नामित किया जायेगा।	सदस्य;
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मुंगेली	सदस्य;
4.	पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जायेगा	सदस्य;
5.	अधीक्षक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, मुंगेली	सदस्य;
6.	अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, मुंगेली	सदस्य;
7.	कार्यकारी अभियंता, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड	सदस्य;
8.	सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
9.	लोर्मि सहायक निदेशक, अचनकमार बाघ रिज़र्व (बफर)	सदस्य;
10.	उप निदेशक, अचनकमर बाघ रिज़र्व, लोर्मि	सदस्य-सचिव।

6.निर्देश निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके पश्चात् मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

IndiaCode

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उप आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों के प्रतिनिधियों या संबंधित पणधारियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/51/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

IndiaCode

उपाबंध– I

छत्तीसगढ़ राज्य में अचनकमार बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर- मध्य प्रदेश के बिलासपुर और डिंडोरी जिला की साझी सीमा आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 407 और 416 से कम्पार्ट.सं.259 का आरक्षित वन की दक्षिणी सीमा और लमणी रेंज के आरक्षित वन कम्पार्ट.सं.260, 265, 266 की पश्चिम सीमा एवं गौरेल्ला रेंज के संरक्षित वन कम्पार्ट.सं. 1215, 1214, 1213, 1218 का साइना बिंदु।

पूर्व- गौरेल्ला रेंज संरक्षित वन कम्पार्ट.सं.1205, 1207 एवं 1133 की पश्चिमी सीमा, संरक्षित वन कम्पार्ट सं. 1135, 1139, 1141, 1150, 1151 की पश्चिमी सीमा, संरक्षित वन कम्पार्ट सं.1159, की दक्षिणी-पश्चिम सीमा, संरक्षित वन कम्पार्ट सं. 1159, की दक्षिणी सीमा, बेलगहना श्रेणी के संरक्षित वन कम्पार्ट सं.1163 की दक्षिणी सीमा, सरगोद और पारसपनी ग्राम की पश्चिमी 172 की पूर्वी सीमा की साझी सीमा।

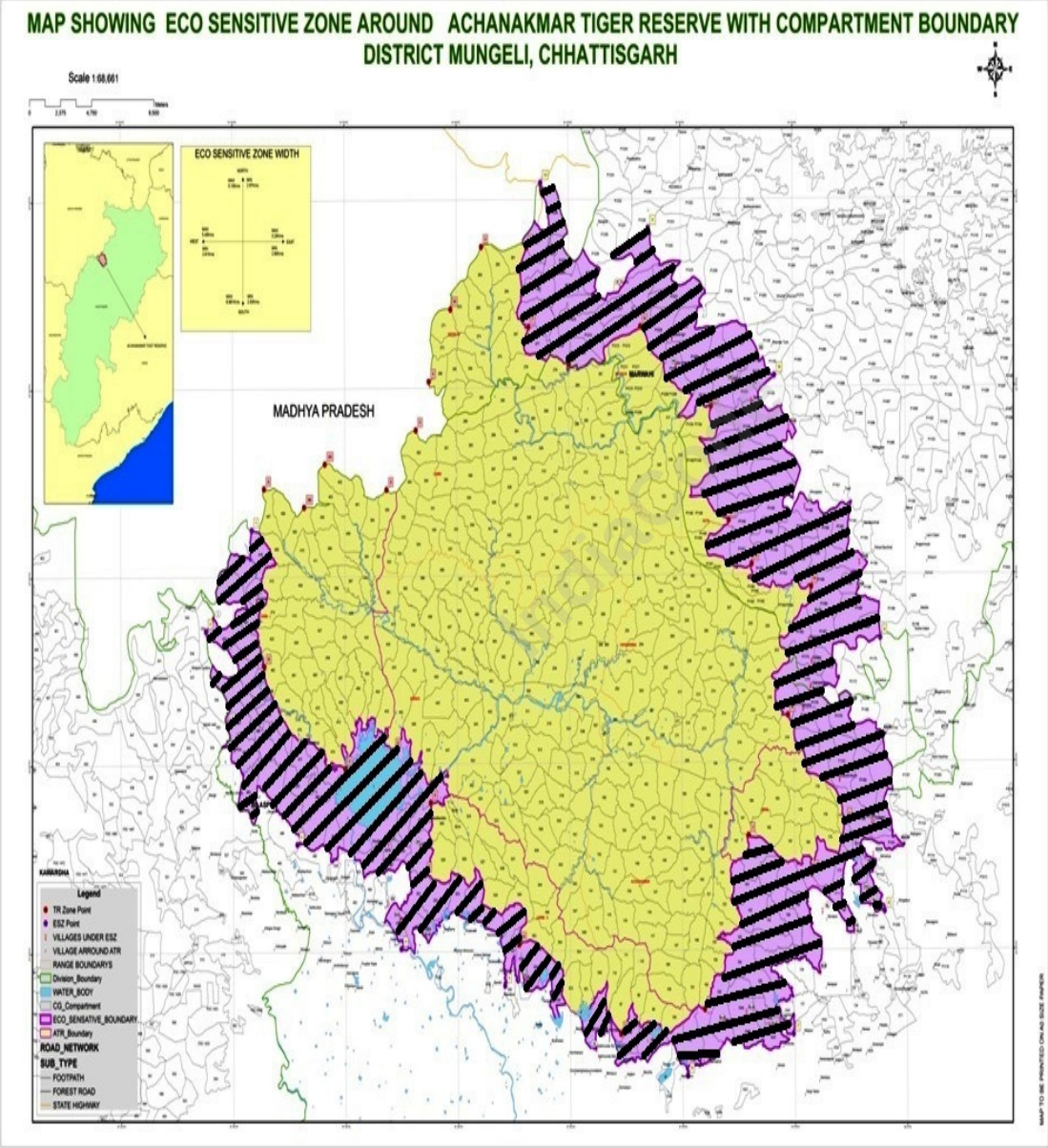
दक्षिण- लोर्मी रेंज के आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 172 की पश्चिमी सीमा आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 168, 173, 174, 166, 165, 164, 163, 143, की उत्तरी सीमा, आरक्षित कम्पार्ट सं. 142, 125, 104, की पश्चिमी सीमा, इसके बाद आरक्षित वन कम्पार्ट सं.103, 93, 94, 96 और आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 1537, की उत्तरी सीमा, रामहेपुर ग्राम की पूर्वी सीमा, संरक्षित वन कम्पार्ट सं. 550, की उत्तरी सीमा, अघरिया बरगन ग्राम की उत्तरी सीमा, आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 1535, 1534, की उत्तरी सीमा, गूनापुर ग्राम की उत्तरी सीमा, संरक्षित वन कम्पार्ट सं 1533, आरक्षित वन 556 संरक्षित वन 1529 आरक्षित वन 534, 537, 532, 499 की उत्तरी सीमा, आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 499 और 530 की पूर्वी सीमा और आरक्षित वन कम्पार्ट. सं. 502 के मिलन बिंदु के मणियारी टैंक की पूर्वी सीमा।

पूर्व - मणियारी टैंक की उत्तरी सीमा आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 502, मिलन बिंदु से 474, मिलन बिंदु तक आरंभ होती है, आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 474 और बीकदर ग्राम वन की उत्तरी सीमा, सलगी ग्राम के आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 475, 476, 469, 463 कम्पार्ट सं. 424, 421, 420 और आरक्षित वन कम्पार्ट सं. 416 की पूर्वी सीमा जो कि बिलासपुर और डिंडोरी जिला की सामान्य सीमा से मिलती है।

IndiaCode

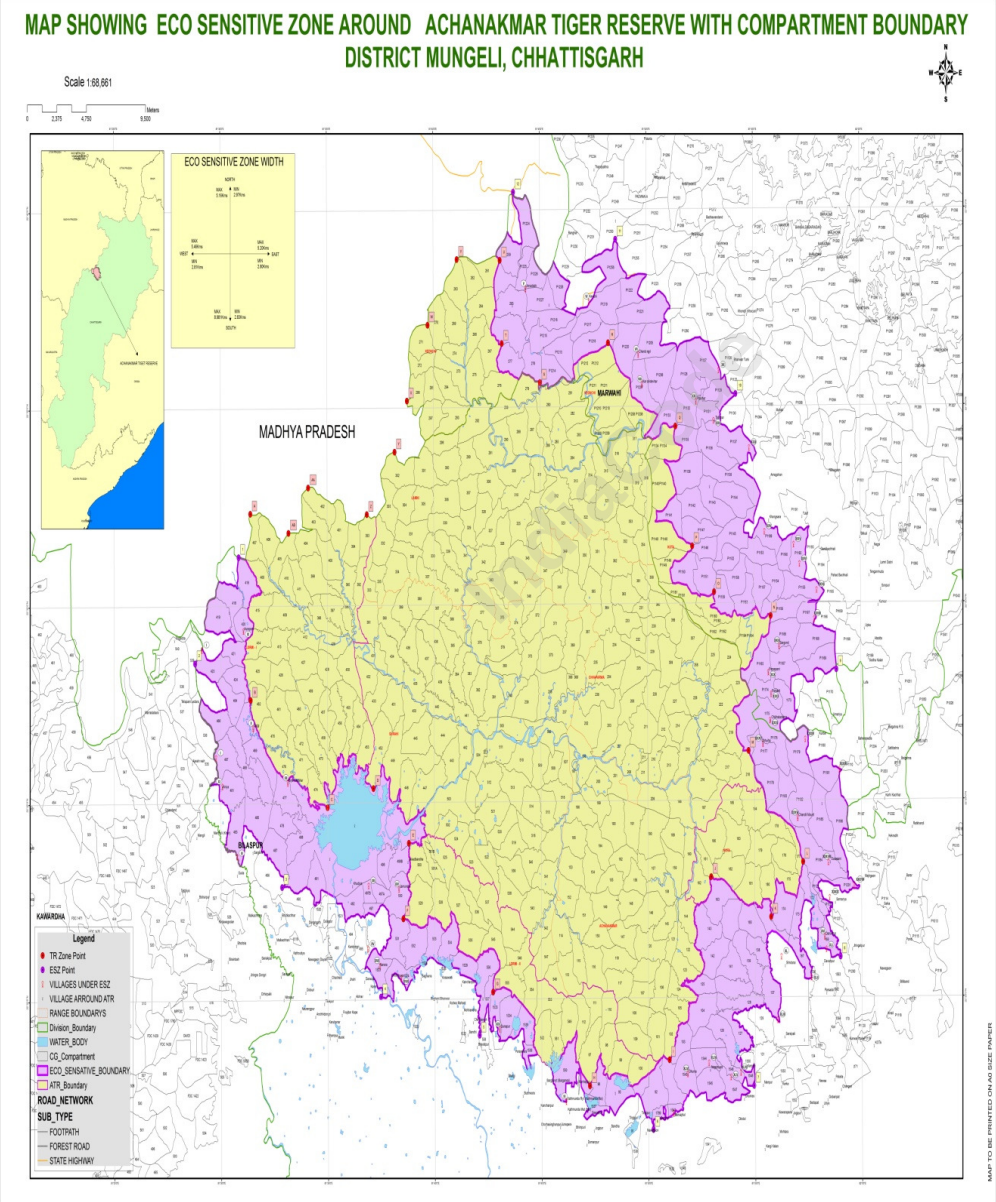
उपाबंध-IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ अचनकमार बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



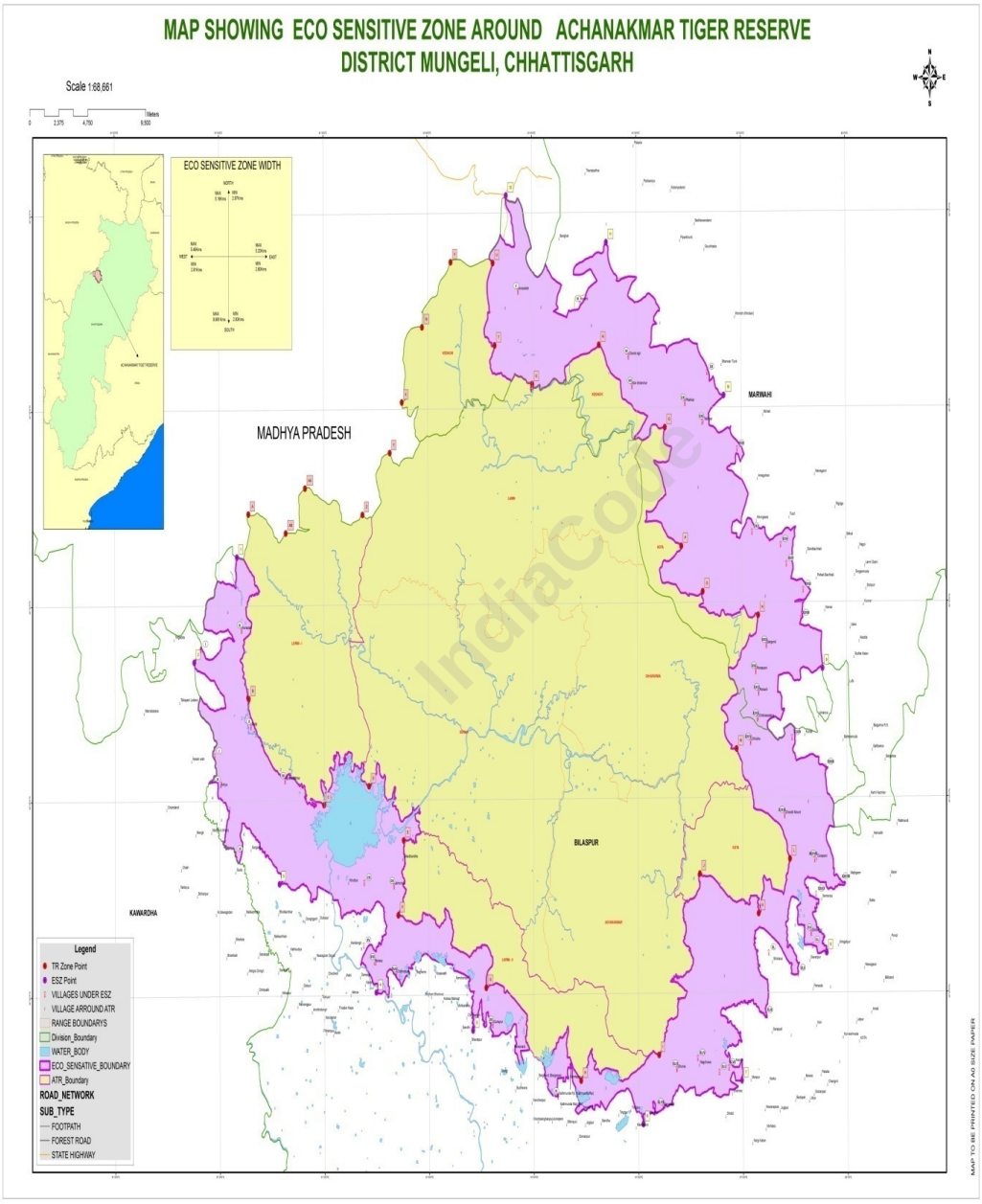
उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के कम्पार्टमेंट सीमा और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और अचनकमार बाघ रिज़र्व का अवस्थान मानचित्र



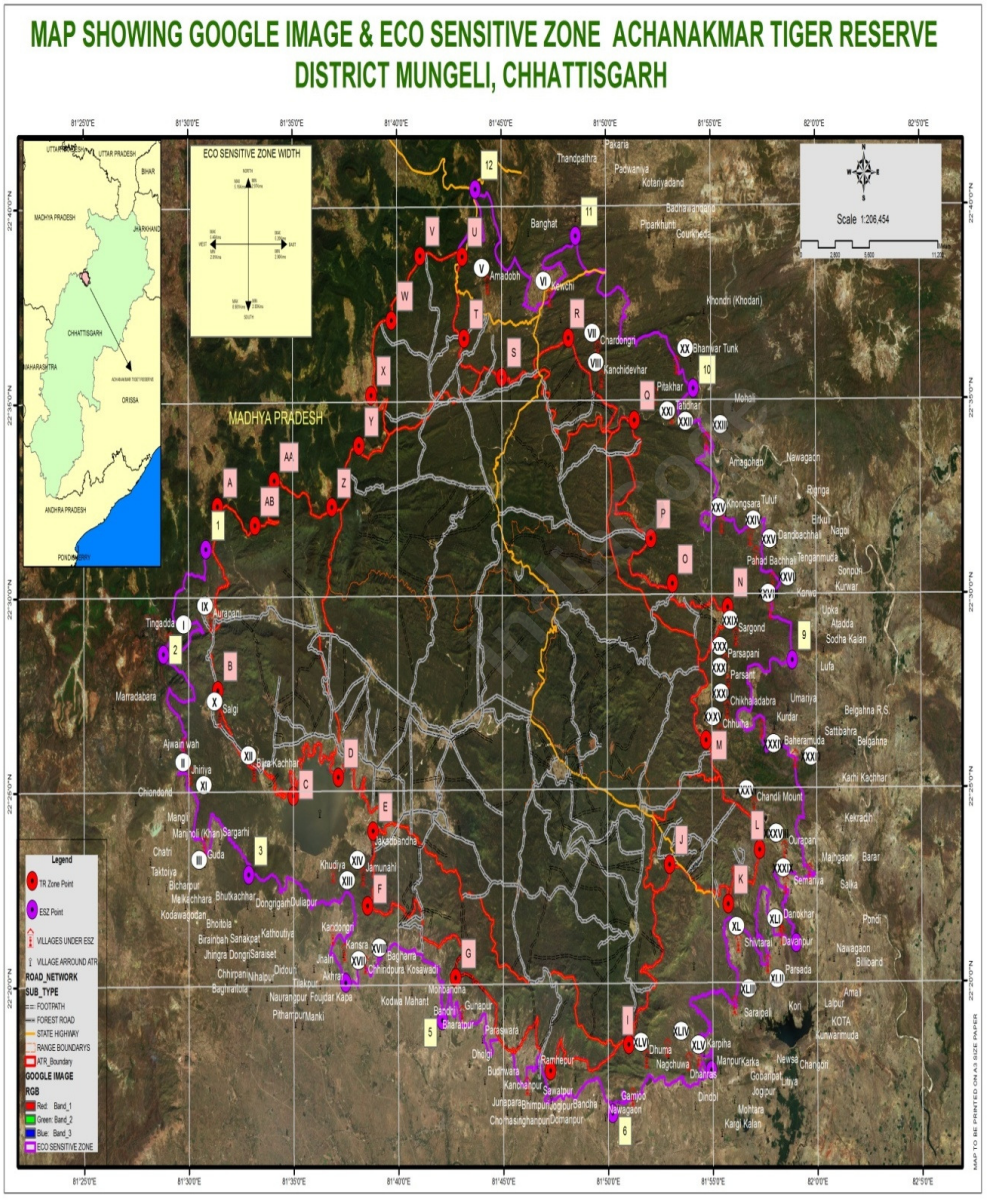
उपाबंध- ।।ग

मुख्य बिंदुओं और भू-निर्देशांकों के साथ अचनकमार बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



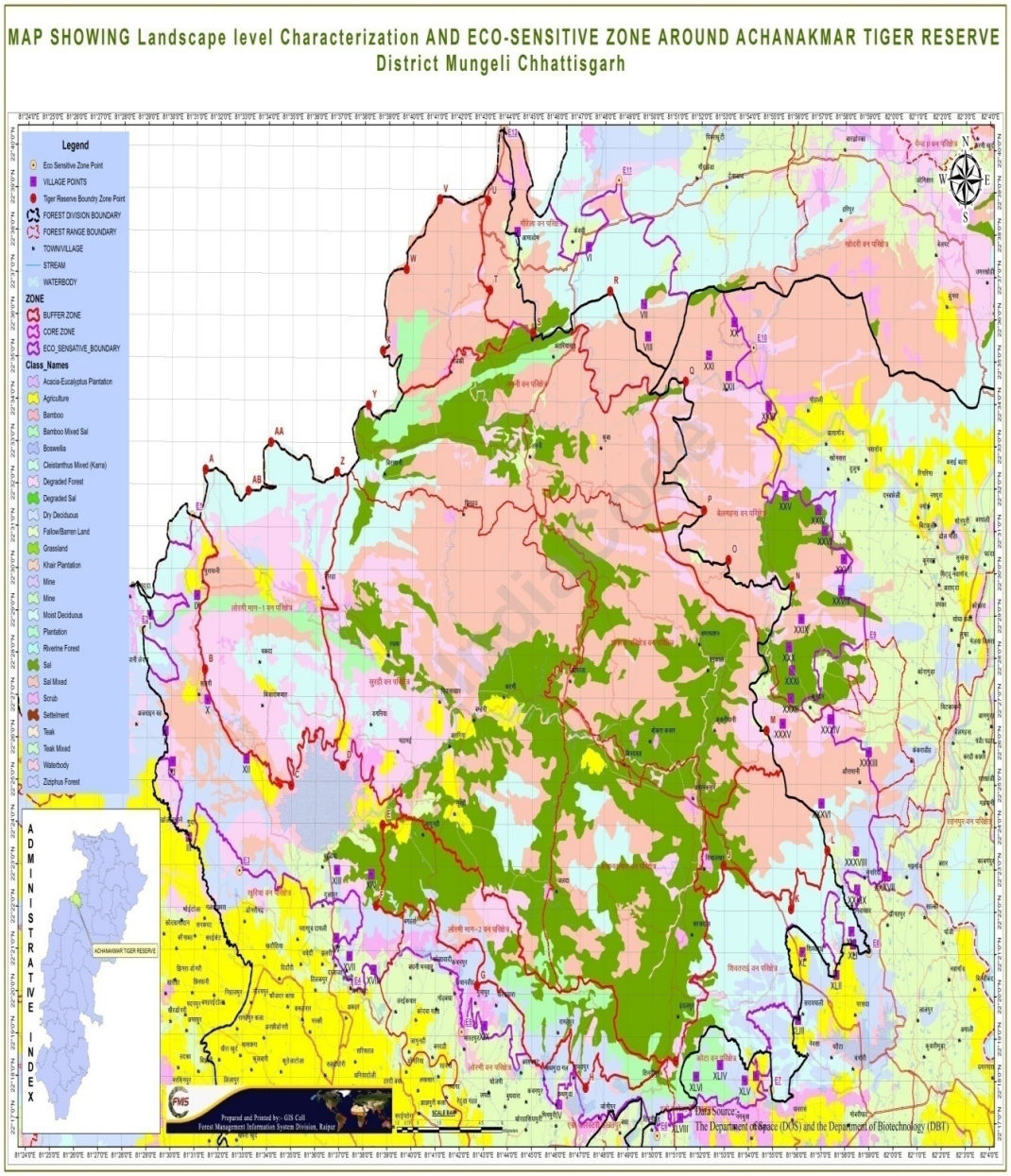
उपाबंध- II घ

मुख्य अवस्थानों के साथ अचनकमार बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का पृथ्वी चित्र मानचित्र



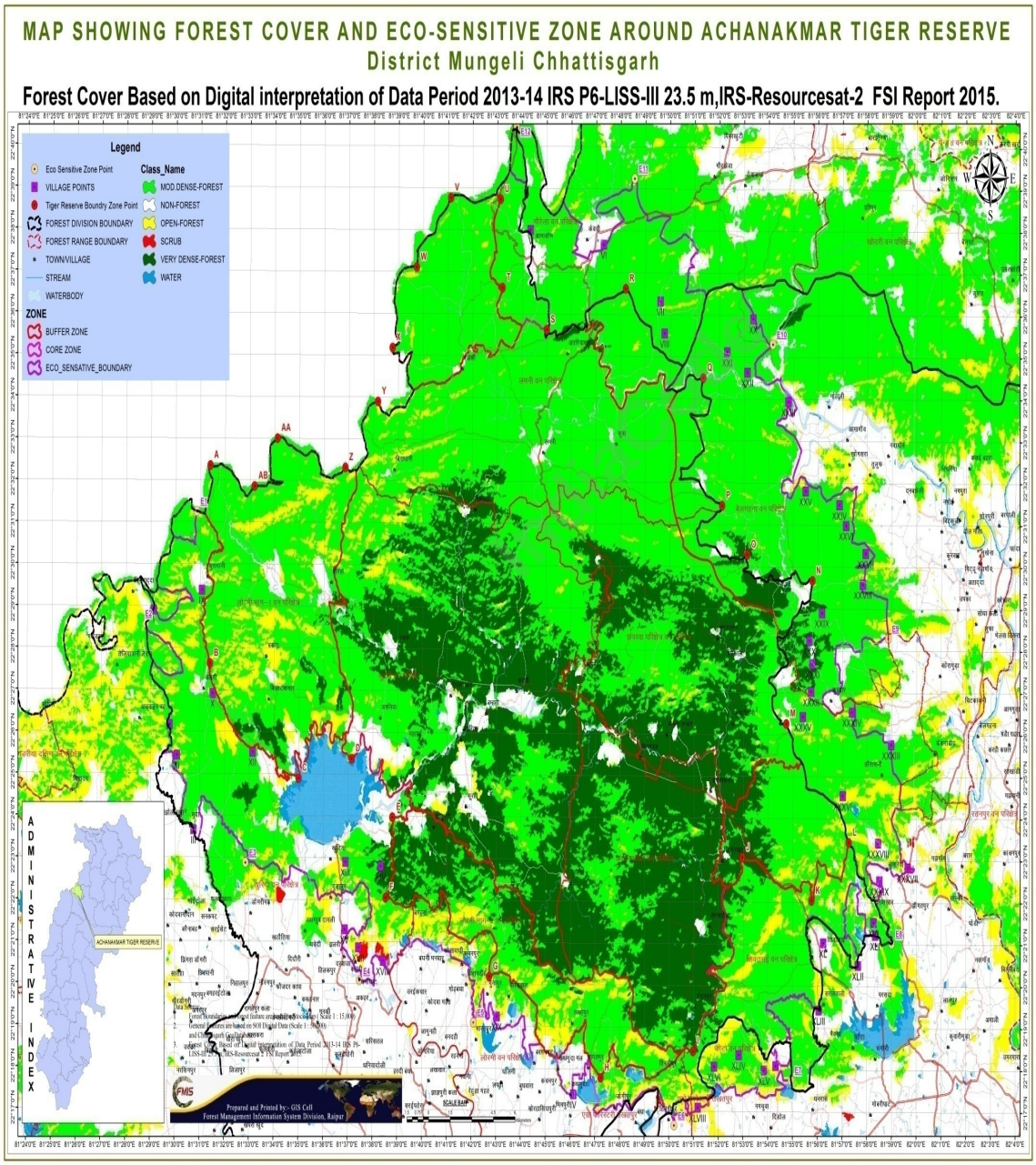
उपाबंध- IIड.

अचनकमार बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-दृश्य मानचित्र



उपाबंध- IIच

अचनकमार बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का आच्छादित वन मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: अचनकमार बाघ रिज़र्व के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	बाघ रिज़र्व	विवरण	प्रकार	अक्षांश	देशांतर
1	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	ए	22° 32' 21.456" उ	81° 31' 23.680" पू
2	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	बी	22° 27' 38.059" उ	81° 31' 23.755" पू
3	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	सी	22° 24' 54.293" उ	81° 34' 59.460" पू
4	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	डी	22° 25' 22.865" उ	81° 37' 8.696" पू
5	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	ई	22° 23' 59.395" उ	81° 38' 47.757" पू
6	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	एफ	22° 22' 4.384" उ	81° 38' 31.777" पू
7	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	जी	22° 20' 12.165" उ	81° 42' 43.548" पू
8	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	एच	22° 17' 48.124" उ	81° 47' 14.938" पू
9	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	आई	22° 18' 26.855" उ	81° 50' 58.858" पू
10	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	जे	22° 23' 4.628" उ	81° 52' 57.290" पू
11	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	के	22° 22' 2.930" उ	81° 55' 45.450" पू
12	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	एल	22° 23' 26.293" उ	81° 57' 15.790" पू
13	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	एम	22° 26' 16.094" उ	81° 54' 43.586" पू
14	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	एन	22° 29' 41.115" उ	81° 55' 46.643" पू
15	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	ओ	22° 30' 18.099" उ	81° 53' 8.040" पू
16	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	पी	22° 31' 28.149" उ	81° 52' 6.730" पू
17	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	क्यू	22° 34' 30.736" उ	81° 51' 20.476" पू
18	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	आर	22° 36' 38.108" उ	81° 48' 11.714" पू
19	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	एस	22° 35' 38.675" उ	81° 44' 59.844" पू
20	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	टी	22° 36' 38.413" उ	81° 43' 12.344" पू
21	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	यू	22° 38' 45.112" उ	81° 43' 7.451" पू
22	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	वी	22° 38' 46.726" उ	81° 41' 6.336" पू
23	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	डब्ल्यू	22° 37' 7.244" उ	81° 39' 43.814" पू
24	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	एक्स	22° 35' 11.880" उ	81° 38' 45.241" पू
25	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	वाई	22° 33' 54.426" उ	81° 38' 10.046" पू
26	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	जेड	22° 32' 19.707" उ	81° 36' 51.513" पू
27	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	एए	22° 33' 0.802" उ	81° 34' 6.528" E
28	अचनकमार बाघ रिज़र्व	बाघ रिज़र्व जोन बिंदु	एबी	22° 31' 52.093" उ	81° 33' 11.038" पू

सारणी ख: अचनकमार बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

सं.क्र.	विवरण	प्रकार	अक्षांश	देशांतर
1	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	1	22° 31' 15.514" उ	81° 30' 50.580" पू
2	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	2	22° 28' 34.189" उ	81° 28' 47.693" पू
3	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	3	22° 22' 53.281" उ	81° 32' 51.156" पू
4	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	4	22° 20' 5.823" उ	81° 37' 28.533" पू
5	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	5	22° 19' 6.496" उ	81° 42' 5.344" पू
6	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	6	22° 16' 40.823" उ	81° 50' 12.801" पू
7	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	7	22° 17' 46.302" उ	81° 54' 56.204" E
8	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	8	22° 21' 1.807" उ	81° 58' 59.977" पू
9	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	9	22° 28' 18.774" उ	81° 58' 50.994" पू
10	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	10	22° 35' 19.236" उ	81° 54' 9.729" पू
11	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	11	22° 39' 15.657" उ	81° 48' 32.916" पू
12	पारिस्थितिकी संवेदी जोन बिंदु	12	22° 40' 28.600" उ	81° 43' 45.558" पू

IndiaCode

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ अचनकमार बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	बिंदु आई डी	ग्रामों के नाम	तहसील	जिला	अक्षांश डीएमएस	देशांतर डीएमएस
1	I	टींगाड्डा	लोरमी	मुंगली	22° 28' 54.517" उ	81° 29' 6.875" पू
2	II	अजवाइं वाह	लोरमी	मुंगली	22° 26' 10.369" उ	81° 29' 46.060" पू
3	III	गुडा	लोरमी	मुंगली	22° 23' 39.938" उ	81° 30' 45.195" पू
4	IV	कठमुंडा	लोरमी	मुंगली	22° 17' 24.377" उ	81° 46' 8.692" पू
5	V	अमादोब	गौरल्ला	बीलासपुर	22° 38' 1.137" उ	81° 44' 20.042" पू
6	VI	केवची	गौरल्ला	बीलासपुर	22° 37' 40.856" उ	81° 47' 18.273" पू
7	VII	छारडोगरी	गौरल्ला	बीलासपुर	22° 36' 19.953" उ	81° 49' 36.404" पू
8	VIII	कांचीदेवहार	गौरल्ला	बीलासपुर	22° 35' 34.274" उ	81° 49' 46.694" पू
9	IX	औरापानी	लोरमी	मुंगली	22° 29' 23.189" उ	81° 31' 3.682" पू
10	X	साल्गी	लोरमी	मुंगली	22° 26' 55.241" उ	81° 31' 30.448" पू
11	XI	झीरीया	लोरमी	मुंगली	22° 25' 26.822" उ	81° 30' 4.090" पू
12	XII	बीजरा कच्छर	लोरमी	मुंगली	22° 25' 31.732" उ	81° 33' 7.781" पू
13	XIII	खुदिया	लोरमी	मुंगली	22° 22' 54.875" उ	81° 36' 54.303" पू
14	XIV	जमुनही	लोरमी	मुंगली	22° 22' 49.265" उ	81° 38' 19.577" पू
15	XV	करीडोगरी	लोरमी	मुंगली	22° 21' 18.466" उ	81° 36' 52.443" पू
16	XVI	दानोखार	लोरमी	मुंगली	22° 21' 31.809" उ	81° 58' 15.985" पू
17	XVII	कंसरा	लोरमी	मुंगली	22° 20' 52.775" उ	81° 37' 26.020" पू
18	XVIII	छींदपुरा	लोरमी	मुंगली	22° 20' 33.735" उ	81° 38' 25.970" पू
19	XIX	गुनापुर	लोरमी	बिलासपुर	22° 19' 15.166" उ	81° 43' 2.256" पू

20	XX	भांवर तुंक	गौरल्ला	बिलासपुर	22° 35' 55.020" उ	81° 53' 22.100" पू
21	XXI	पीताखार	गौरल्ला	बिलासपुर	22° 35' 7.669" उ	81° 52' 18.636" पू
22	XXII	तटीधर	गौरल्ला	बिलासपुर	22° 34' 38.827" उ	81° 53' 7.875" पू
23	XXIII	अमागोहां	कोटा	बिलासपुर	22° 33' 56.865" उ	81° 54' 47.610" पू
24	XXIV	तुलुफ	कोटा	बिलासपुर	22° 31' 29.341" उ	81° 56' 51.961" पू
25	XXV	खोंगसारा	कोटा	बिलासपुर	22° 31' 49.172" उ	81° 55' 29.837" पू
26	XXVI	देंदबाछाली	कोटा	बिलासपुर	22° 30' 59.797" उ	81° 57' 8.164" पू
27	XXVII	पहाड बछाली	कोटा	बिलासपुर	22° 30' 19.837" उ	81° 57' 56.089" पू
28	XXVIII	करवा	कोटा	बिलासपुर	22° 29' 35.667" उ	81° 57' 49.264" पू
29	XXIX	सारगोंड	कोटा	बिलासपुर	22° 28' 54.724" उ	81° 56' 10.085" पू
30	XXX	परसापानी	कोटा	बिलासपुर	22° 28' 14.811" उ	81° 55' 39.581" पू
31	XXXI	प्रसांत	कोटा	बिलासपुर	22° 27' 41.863" उ	81° 55' 47.246" पू
32	XXXII	चीखलादाबरा	कोटा	बिलासपुर	22° 27' 2.049" उ	81° 55' 44.039" पू
33	XXXIII	बहेरामुदा	कोटा	बिलासपुर	22° 25' 46.387" उ	81° 58' 58.527" पू
34	XXXIV	कुरदर	कोटा	बिलासपुर	22° 26' 32.739" उ	81° 57' 22.858" पू
35	XXXV	छुइहा	कोटा	बिलासपुर	22° 26' 26.169" उ	81° 55' 24.119" पू
36	XXXVI	चांदलीमोंट	कोटा	बिलासपुर	22° 24' 32.933" उ	81° 57' 1.139" पू
37	XXXVII	मजहगओन	कोटा	बिलासपुर	22° 22' 49.961" उ	81° 59' 39.099" पू
38	XXXVIII	ओरापानी	कोटा	बिलासपुर	22° 23' 25.265" उ	81° 58' 27.002" पू
39	XXXIX	सेमरीया	कोटा	बिलासपुर	22° 22' 31.570" उ	81° 58' 30.240" पू
40	XL	शिवतरीया	कोटा	बिलासपुर	22° 21' 2.404" उ	81° 56' 14.143" पू
41	XLI	देवांपुर	कोटा	बिलासपुर	22° 21' 13.194" उ	81° 58' 20.442" पू
42	XLII	प्रसादा	कोटा	बिलासपुर	22° 20' 30.103" उ	81° 57' 38.457" पू
43	XLIII	साराइपानी	कोटा	बिलासपुर	22° 19' 26.151" उ	81° 56' 3.352" पू

IndiaCode

44	XLIV	नगचुवा	कोटा	बिलासपुर	22° 18' 21.541" उ	81° 52' 49.686" पू
45	XLV	धांरास	कोटा	बिलासपुर	22° 17' 59.795" उ	81° 53' 51.114" पू
46	XLVI	धुमा	कोटा	बिलासपुर	22° 18' 4.901" उ	81° 51' 49.787" पू
47	XLVII	केरपीहा	कोटा	बिलासपुर	22° 18' 6.361" उ	81° 54' 19.161" पू
48	XLVIII	बंसाजहाल	कोटा	बिलासपुर	22° 17' 6.189" उ	81° 51' 10.188" पू

डीएमएस: डिग्री, मिनट और सैकेंड

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.—

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की सदृश त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2019

S.O. 3654(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 1654(E), dated the 16th April, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 17th April, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

WHEREAS, The Achanakmar Tiger Reserve is spread over an area of 914.017 square kilometres and situated in Lormi Tehsil of Mungeli district in the State of Chhattisgarh;

AND WHEREAS, the Achanakmar Tiger Reserve is known for its rich habitat consisting of a variety of flora and fauna including mammals, birds, amphibians, reptiles, fish, varieties of butterflies and insects and a number of waterfalls such as Maniyari, Kasanai, Rakchhachhak, Matinala adding richness to the scenic beauty of the natural landscape endowed with rich biodiversity and forests. The important flora from the Achanakmar Tiger Reserve are Sal (*Shorea robusta),* Saja (*Terminalia tomentosa),* Bija (*Pterocarpus marsupium),* Dhaura (*Anogeissus latifolia),* Haldu (*Adina cardiflora),* Harra (*Terminelia chebula),* Kusum (*Scheichera oleosa),* Padar (*Stereopsermum suaveolens),* Kasai (*Bridelia retusa),* Landia (*Lagerstroemia parviflora),* Jamun (*Syzygium cumini),* Mahua (*Madhuca indica),* Kala – siris (*Albizia lebbek),* Sisam (*Dalbergia latifolia),* Khair (*Acacia catechu),* Kullu (*Stereculia urens)* etc. While, shrubs and Bushes from the Tiger Reserve are Achar (*Buchanania lanzan),* Baranga (*Kydia calycina),* Tondri (*Casearia tomentosa),* Kachanar (*Bauhinia variegate),* Apamarg (*Achyranthus aspera),* Bibidang (*Embelia robusta),* Bantulsi (*Grewia rothii),* Dhawai (*woodfordia floribunda),* Chirota (*Cassia tora),* Baibirang (*Embelia tejeramcottam)* etc. Mahul (*Bauhinia vahlii),* Palasbel (*Butea superb),* Ramdatoon (*Similax macrophylla),* Paibel (*Combretum decandrum),* Raoni (*Acacia pennata),* Dokarbel (*Cissus reparida)* etc. are climbers recorded from the protected area;

AND WHEREAS, important grasses and bamboo from the Achanakmar Tiger Reserve are Bans (*Dendrocalamus strictus),* Chhira (*Themeda ouadrivalvis),* Chhir (*Imperata cylindrical),* Mushel (*Iseilema nervosum),* Bhurbhuri (*Eragrostis tenella),* Khas (*Vetivera zizanioides),* Kusal (*Hetaropogon contortus),* Sabai (*Eulaiopsis binata*), etc. Safed musli (*Chlorophtum tuberosum),* Kali musli (*Curuligo orchioides),* Tikhur (*Curcuma ungustifoliya),* Kewanch (*Macuna pruriens),* Marorfalli (*Helictres isora),* Satavar (*Asparagus racemosus),* etc. the medicinal plants recorded from the Achanakmar Tiger Reserve;

AND WHEREAS, Achanakmar Tiger Reserve is very rich in wildlife as it has very vast grasslands which provides an ideal habitat for herbivore and has a rich potential prey base for Tiger, Panthers and other carnivore. The important fauna recorded from the Tiger Reserve are Bagh (*Panthera tigris),* Tendua (*Panthera pardus),* Bhalu (*Melursus ursinus),* Wild dog (*Cuon alpines),* Gaur (*Bos gaurus),* Cheetal (*Axix axis),* Sambar (*Cervus unicolor),* Barking deer (*Muntiacus muntjak),* Chousinga (*Tetracerus quadricornis),* Wild pig (*Sus scrofa),* Jackal (*Canis aureus),* Ratel (*Millivora capensis),* Ajghar (*Python molurus),* Moniter Lizard (*Varanus moniter),* Nag (*Naja naja),* Ahiraj (*Bungarus fasciatus),* Russell's viper (*Vipera russelli*), etc. The major bird species found in the protected area are Bater (*Perdicula asiatica),* Harial (*Treron phoenicoptera),* Peacock (*Pavo cristatus),* Sarus (*Grus atigona),* Teetar (Kala) (*Frankolinus pictus),* Finga (*Dicrurus leucophaeus),* Zakki (*Muscicapa daurika),* Koel (*Eudynamys scolopacea),* Pachanak (*Lanius vittatus),* Kotwal (*Dicrurus macrocercus),* Mayur, Mor (*Pavo cristatus),* Pilak (*Oriolus kundoo),* Katphodwa (*Dinopium benghalense),* Shama (*Copsyshus malabaricus),* Shakari munia (*Lonchura striata),* Nilranga (*Cyornis tickelliae),* Chittkabara (Padki) (*Streptopelia chinensis),* Pulak (*Calandrella brachydactyla),* Lybar Tota (*Psittacula krameri*), Neelkanth (*Caracias benghalensis*), etc.;

AND WHEREAS, important endangered and threatened species from the Achanakmar Tiger Reserve are Gudmar *(Gymnema sylvestris)* Hadjod *(Cissus quadrangularis,* Satpuda leopard gecko (*Eublepharis hardwickii*), Banded Krait *(Bungarus fasciatus),* Pangolin *(Manis crassicaudata),* Wolf *(Canis lupus pallipes),* Chausingha or Four horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), Indian Wild Dog *(Cuon alpines*), etc.;

AND WHEREAS, the Achanakmar Tiger Reserve is cradled and nested in the unique feature of Achanakmar-Amarkantak Biosphere Reserve. The Achanakmar Tiger Reserve is at the confluence of many conduits (corridors) of tiger linking it to the major tiger reserves in the region and is a hub of tiger activity. Apart from this the area has rich historical and cultural attributes elevating and enhancing the ecotourism potential in the area. The area also has attributes like education and research which is yet to be promoted in the right persecution;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Achanakmar Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 (zero) kilometre to 8.49 kilometres around the boundary of Achanakmar Tiger Reserve, in Mungeli district in the State of Chhattisgarh as Achanakmar Tiger Reserve the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of zero kilometre to 8.49 kilometres around the boundary of Achanakmar Tiger Reserve and the area of the Eco-sensitive Zone is

438.95 square kilometres. Zero extent of Eco-sensitive Zone at North-west direction is due to adjoining of interstate border with Madhya Pradesh. Extent of Eco-sensitive Zone in different directions are:

North	4.1 kms
North- East	3.8 kms
East	6.2 kms
South-East	5.3 kms
South	1.0 kms
South-West	8.49 kms
West	2.1 kms
North-West	0.0 kms

(2) The boundary description of Achanakmar Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Achanakmar Tiger Reserve demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID, Annexure-IIE** and **Annexure-IIF .**

(4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Achanakmar Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:—

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj; and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture

IndiaCode

conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: —

(1) Land use.—(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:—

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:—

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio Medical Waste Management shall be as under:—

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 18th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the

Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:—

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman

		Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry

		producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		

IndiaCode

29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:—

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Collector Mungeli	Chairman, ex officio;
2.	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of one year.	Member;
3.	Chief Executive Officer, District Panchayat, Mungeli	Member;
4.	Representative of Non-Governmental Organization working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of one year in each case.	Member;
5.	Superintendent Engineer , Public Works Department , Mungeli	Member;
6.	Superintendent Engineer Public Health Engineering, Mungeli	Member;
7.	Executive Engineer, Chhattisgarh environment conservation board	Member;
8.	Member, State Biodiversity Board	Member;
9.	Assistant Director, Achanakmar Tiger Reserve (Buffer) Lormi	Member;
10.	Deputy Director, Achanakmar Tiger Reserve, Lormi	Member-Secretary.

6. Terms of reference. —(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

IndiaCode

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the the National Green Tribunal.

IndiaCode

[F. No. 25/51/2017-ESZ]

DR. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE AND ITS ECOSENSITIVE ZONE IN THE STATE CHHATTISGARH

North — Common boundary of Bilaspur and Dindori district of Madhya Pradesh, Common point of RF compt. no. 407 and 416 to southern boundary of RF compt. no. 259 and western boundary of RF compt. No. 260, 265, 266 of Lamani range & southern boundary of PF compt. no. 1215, 1214, 1213, 1218 of Gaurella range.

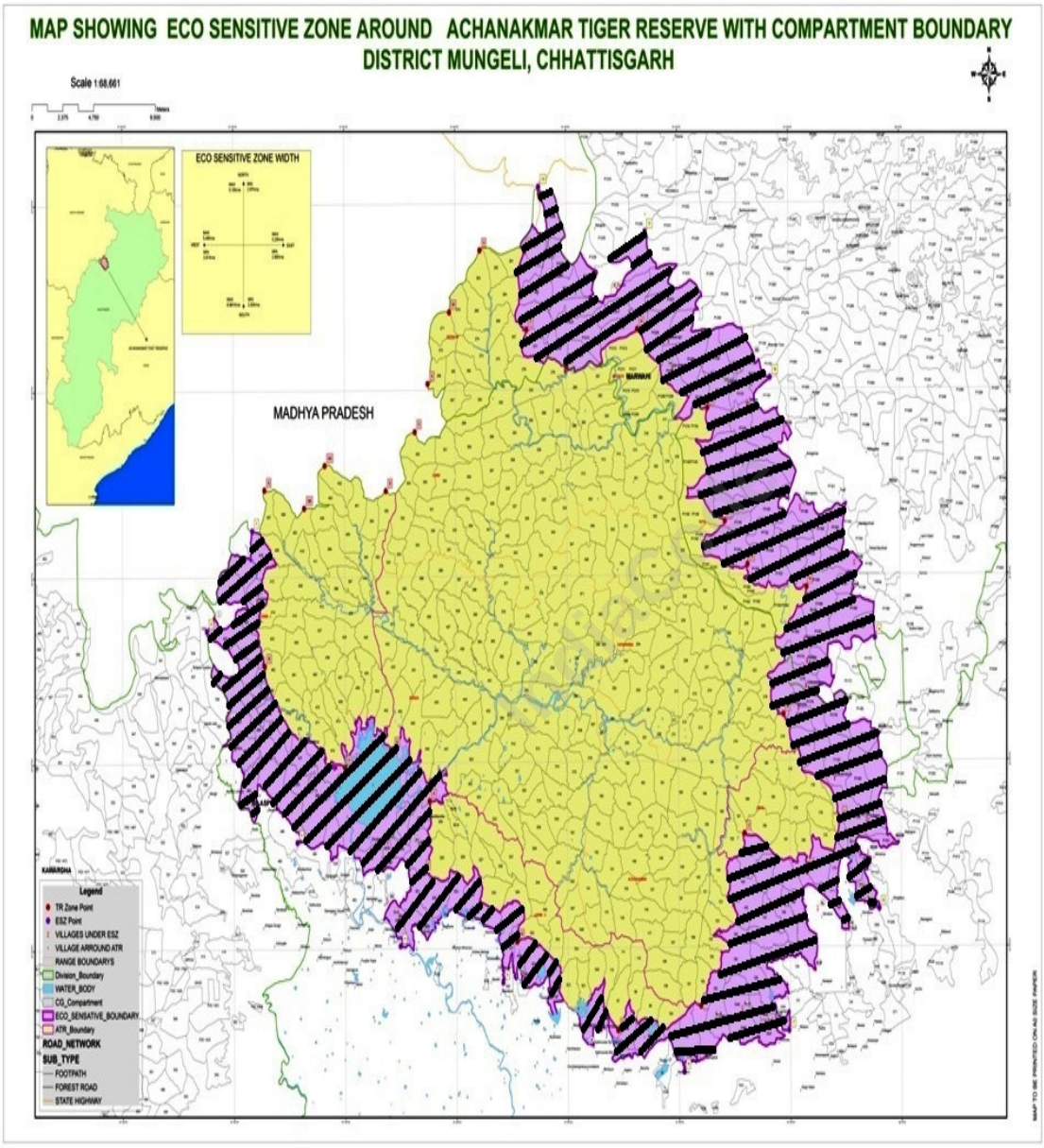
East — Western boundary of the PF compt. No. 1205, 1207 & 1133 of Gaurella rsnge, Western boundary of PF compt. No. 1135, 1139, 1141, 1150, 1151 south-west boundary of PF compt. No. 1159, southern boundary of PF compt. No. 1159, southern boundary of PF compt. No. 1163 of Belgahana renge, western boundary of village Sargod and Parasapani and common boundary of Bilaspur and Marwahi forest division up to eastern boundary of compt. No. 172.

South — Western boundary of RF compt. No. 172 of Lormi range, nothern boundary of RF compt. No. 168, 173, 174, 166, 165, 164, 163, 143, western boundary of RF compt. No. 142, 125, 104, then northern boundary of RF compt. No. 103, 93, 94, 96 and PF compt. No. 1537, eastern boundary of village Ramhepur, northern boundary of PF compt. No. 550, northern boundary of village Aghariya Bargan, northern boundary of RF compt. No. 1535, 1534, northern boundary of village Gunapur, northern boudary of PF compt. No. 1533, RF 556 PF 1529 RF 534, 537, 532, 499 eastern boundary of RF compt. No. 499 and 530 and eastern boundary of Maniyari Tank up to meeting point of RF compt. No. 502

East — Northern boundary of Maniyari Tank that starts from meeting point of RF compt. No. 502, to meeting point of 474, northern boundary of RF compt. No. 474 and forest village Bijrakachhar, eastern boundary of RF compt. No. 475, 476, 469, 463 village Salgi, RF compt. No. 424, 421, 420 forest village Aurapani and RF compt. No. 416 which meets the common boundary of Bilaspur and Dindori district.

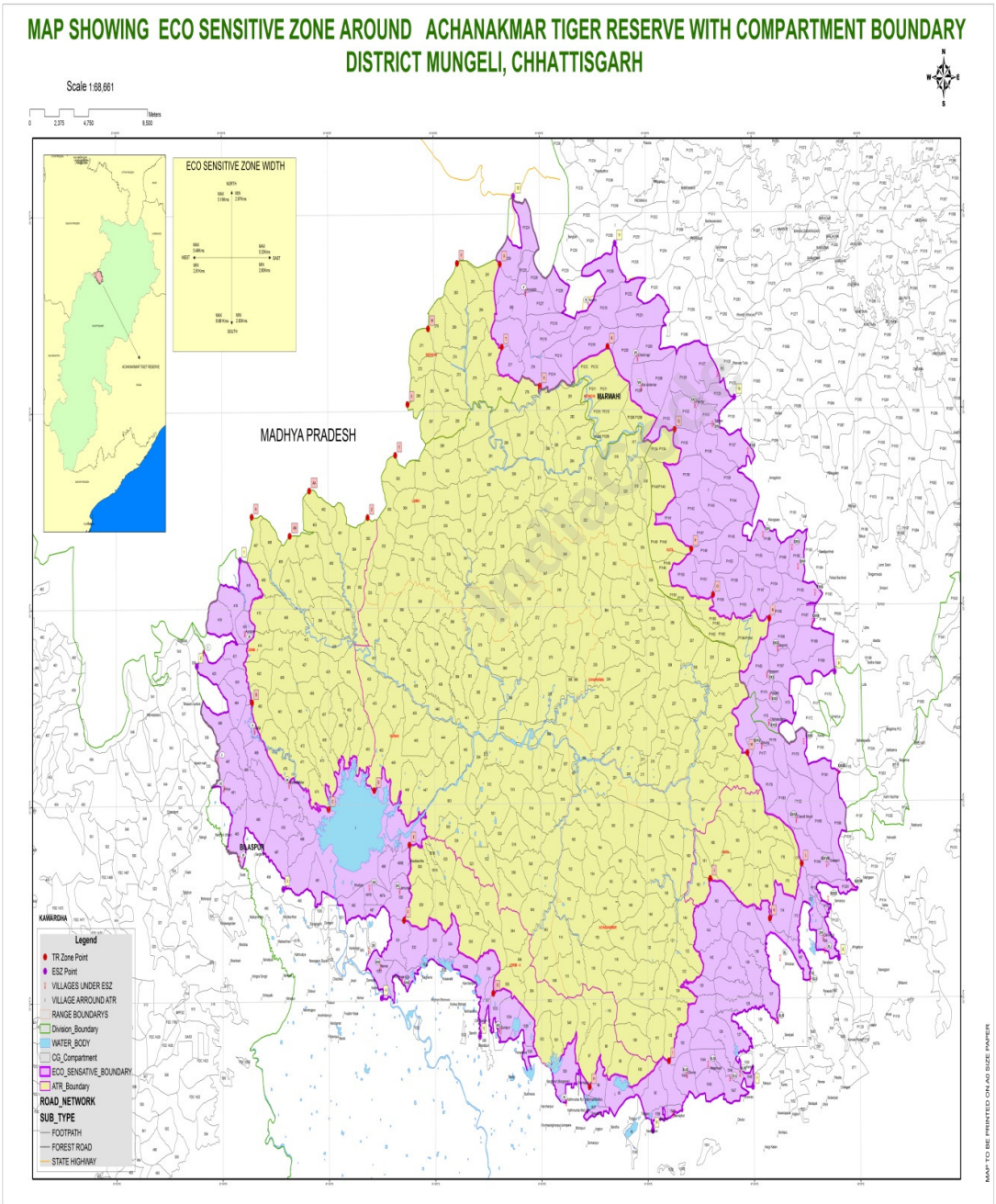
ANNEXURE- IIA

MAP OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



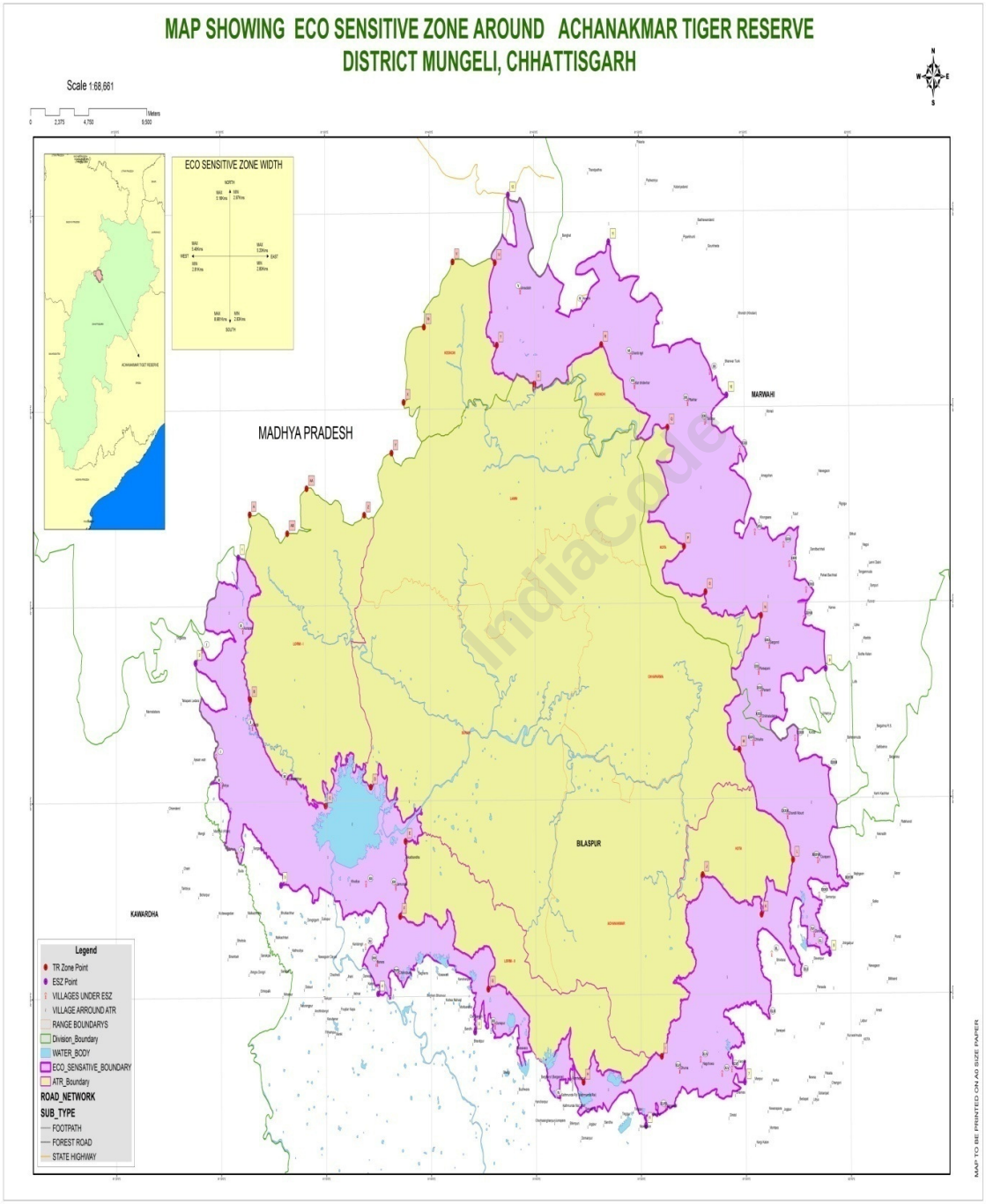
ANNEXURE- IIB

LOCATION MAP OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH COMPARTMENT BOUNDARY AND LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



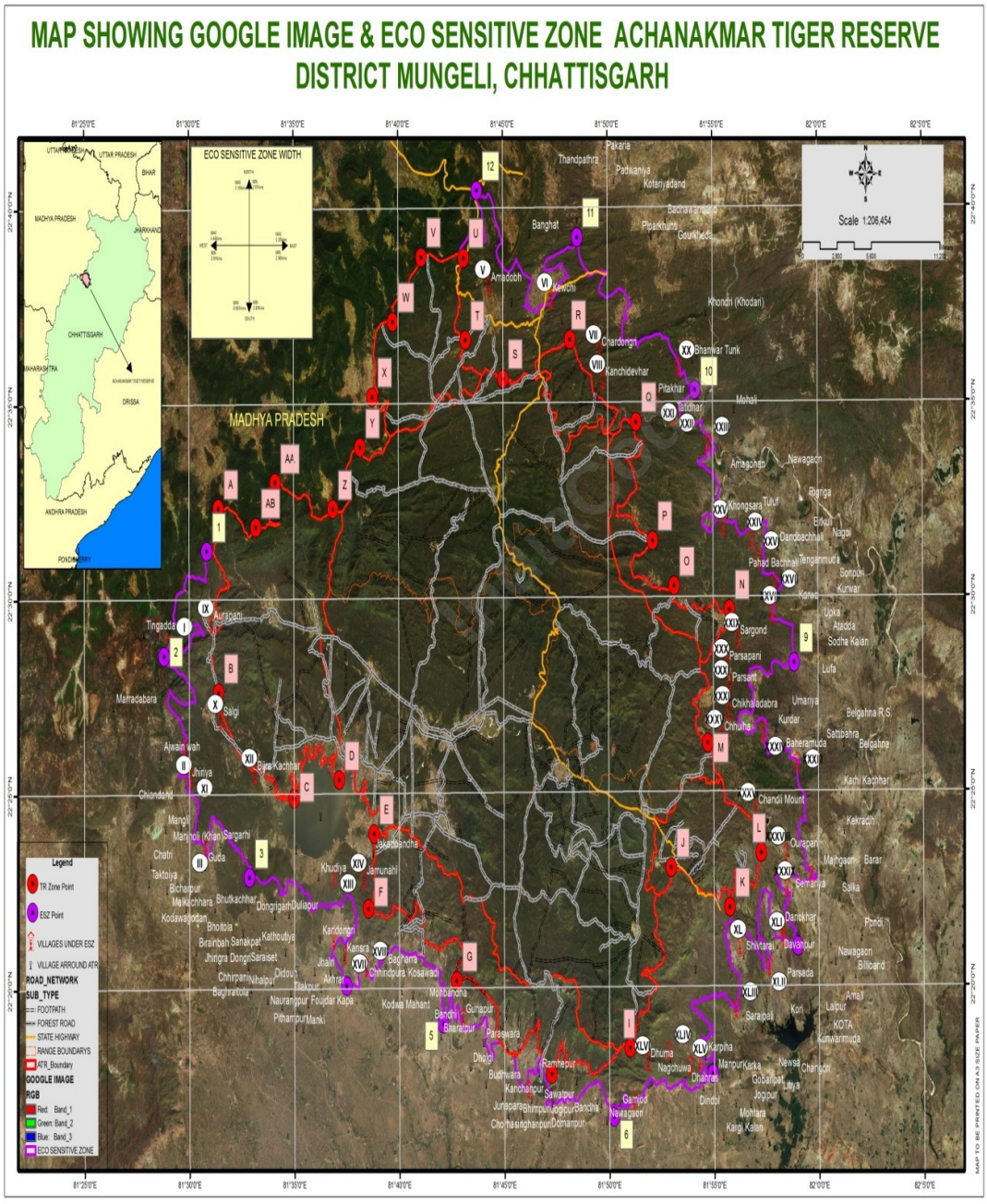
ANNEXURE-IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE ALONG WITH PROMINENT POINTS AND GEO-COORDINATES



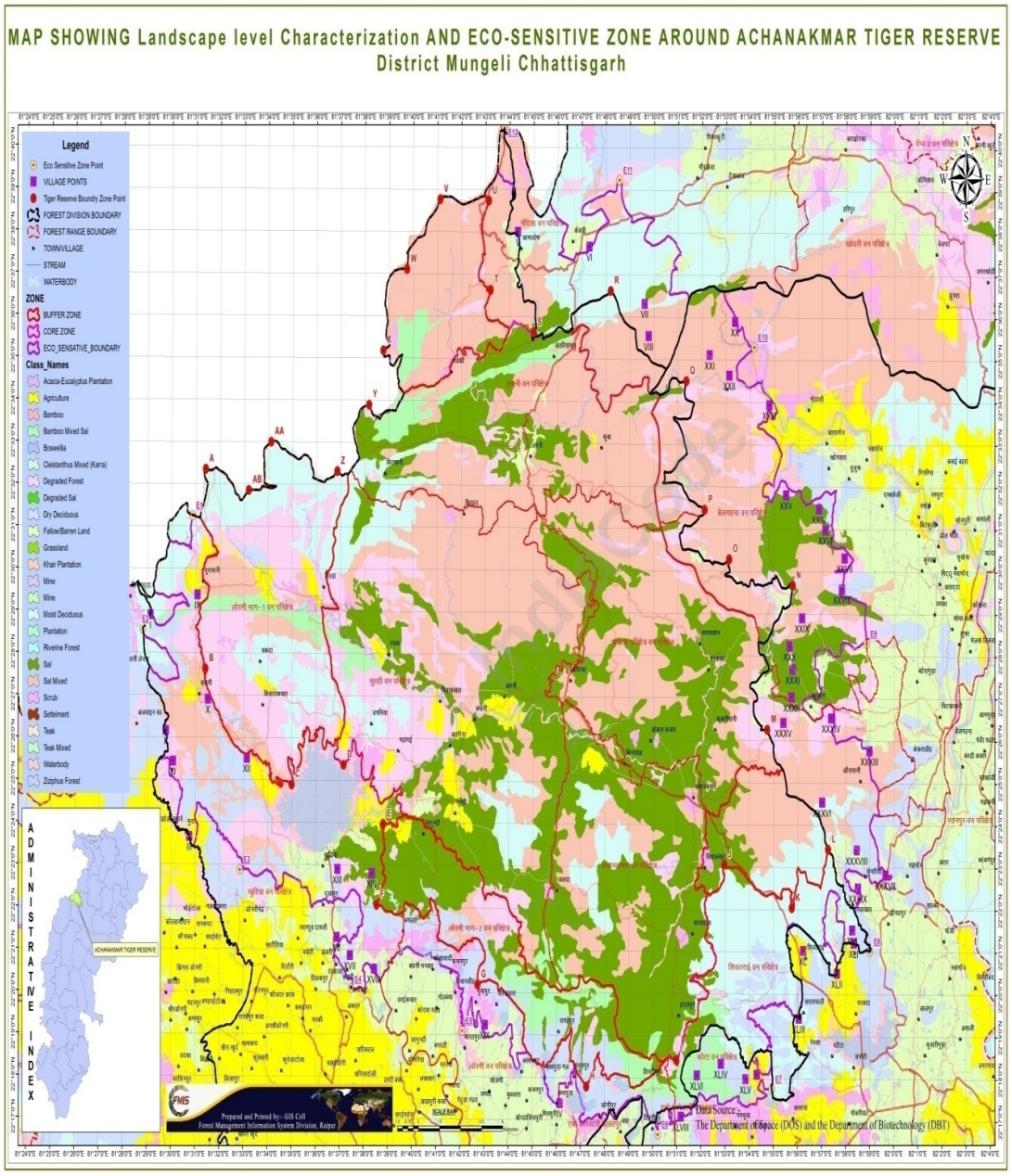
ANNEXURE-IIID

GOOGLE EARTH IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE ALONG WITH PROMINENT LOCATIONS



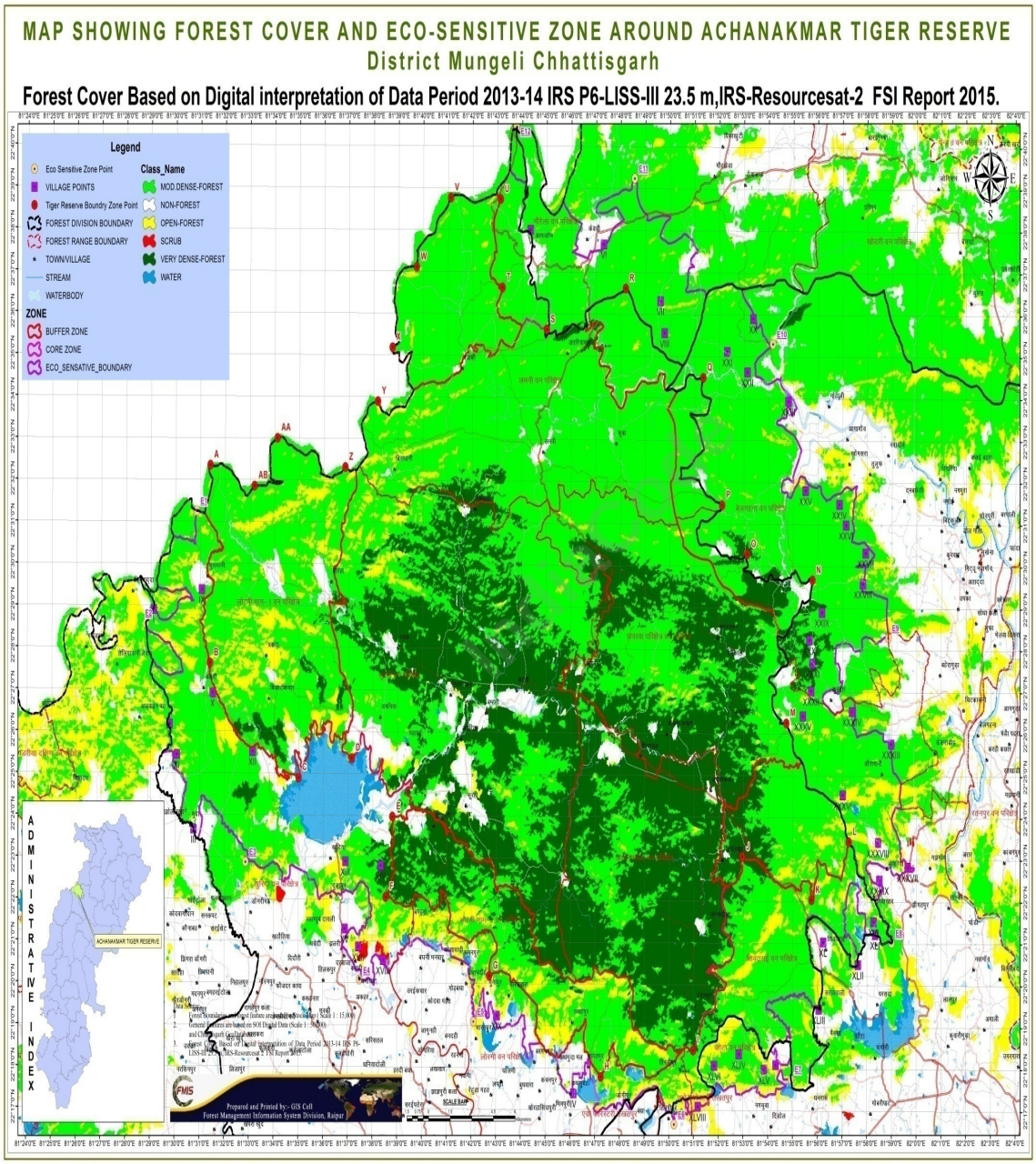
ANNEXURE-IIE

LANDSCAPE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE



ANNEXURE-IIF

FOREST COVER MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE

S.N.	TIGER RESERVE	DISCRIPTION	TYPE	LATITUDE	LONGITUDE
1	Achanakmar TR	TR Zone Point	A	22° 32' 21.456" N	81° 31' 23.680" E
2	Achanakmar TR	TR Zone Point	B	22° 27' 38.059" N	81° 31' 23.755" E
3	Achanakmar TR	TR Zone Point	C	22° 24' 54.293" N	81° 34' 59.460" E
4	Achanakmar TR	TR Zone Point	D	22° 25' 22.865" N	81° 37' 8.696" E
5	Achanakmar TR	TR Zone Point	E	22° 23' 59.395" N	81° 38' 47.757" E
6	Achanakmar TR	TR Zone Point	F	22° 22' 4.384" N	81° 38' 31.777" E
7	Achanakmar TR	TR Zone Point	G	22° 20' 12.165" N	81° 42' 43.548" E
8	Achanakmar TR	TR Zone Point	H	22° 17' 48.124" N	81° 47' 14.938" E
9	Achanakmar TR	TR Zone Point	I	22° 18' 26.855" N	81° 50' 58.858" E
10	Achanakmar TR	TR Zone Point	J	22° 23' 4.628" N	81° 52' 57.290" E
11	Achanakmar TR	TR Zone Point	K	22° 22' 2.930" N	81° 55' 45.450" E
12	Achanakmar TR	TR Zone Point	L	22° 23' 26.293" N	81° 57' 15.790" E
13	Achanakmar TR	TR Zone Point	M	22° 26' 16.094" N	81° 54' 43.586" E
14	Achanakmar TR	TR Zone Point	N	22° 29' 41.115" N	81° 55' 46.643" E
15	Achanakmar TR	TR Zone Point	O	22° 30' 18.099" N	81° 53' 8.040" E
16	Achanakmar TR	TR Zone Point	P	22° 31' 28.149" N	81° 52' 6.730" E
17	Achanakmar TR	TR Zone Point	Q	22° 34' 30.736" N	81° 51' 20.476" E
18	Achanakmar TR	TR Zone Point	R	22° 36' 38.108" N	81° 48' 11.714" E
19	Achanakmar TR	TR Zone Point	S	22° 35' 38.675" N	81° 44' 59.844" E
20	Achanakmar TR	TR Zone Point	T	22° 36' 38.413" N	81° 43' 12.344" E
21	Achanakmar TR	TR Zone Point	U	22° 38' 45.112" N	81° 43' 7.451" E
22	Achanakmar TR	TR Zone Point	V	22° 38' 46.726" N	81° 41' 6.336" E
23	Achanakmar TR	TR Zone Point	W	22° 37' 7.244" N	81° 39' 43.814" E
24	Achanakmar TR	TR Zone Point	X	22° 35' 11.880" N	81° 38' 45.241" E
25	Achanakmar TR	TR Zone Point	Y	22° 33' 54.426" N	81° 38' 10.046" E
26	Achanakmar TR	TR Zone Point	Z	22° 32' 19.707" N	81° 36' 51.513" E
27	Achanakmar TR	TR Zone Point	AA	22° 33' 0.802" N	81° 34' 6.528" E
28	Achanakmar TR	TR Zone Point	AB	22° 31' 52.093" N	81° 33' 11.038" E

IndiaCode

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE

S. N.	DISCRIPTION	TYPE	LATITUDE	LONGITUDE
1	ESZ Point	1	22° 31' 15.514" N	81° 30' 50.580" E
2	ESZ Point	2	22° 28' 34.189" N	81° 28' 47.693" E
3	ESZ Point	3	22° 22' 53.281" N	81° 32' 51.156" E
4	ESZ Point	4	22° 20' 5.823" N	81° 37' 28.533" E
5	ESZ Point	5	22° 19' 6.496" N	81° 42' 5.344" E
6	ESZ Point	6	22° 16' 40.823" N	81° 50' 12.801" E
7	ESZ Point	7	22° 17' 46.302" N	81° 54' 56.204" E
8	ESZ Point	8	22° 21' 1.807" N	81° 58' 59.977" E
9	ESZ Point	9	22° 28' 18.774" N	81° 58' 50.994" E
10	ESZ Point	10	22° 35' 19.236" N	81° 54' 9.729" E
11	ESZ Point	11	22° 39' 15.657" N	81° 48' 32.916" E
12	ESZ Point	12	22° 40' 28.600" N	81° 43' 45.558" E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF ACHANAKMAR TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

S.N	Point ID	Name of Village	Tahsil	District	Latitude DMS	Longitude DMS
1	I	Tingadda	Lormi	Mungeli	22° 28' 54.517" N	81° 29' 6.875" E
2	II	Ajwain wah	Lormi	Mungeli	22° 26' 10.369" N	81° 29' 46.060" E
3	III	Guda	Lormi	Mungeli	22° 23' 39.938" N	81° 30' 45.195" E
4	IV	Kathmunda	Lormi	Mungeli	22° 17' 24.377" N	81° 46' 8.692" E
5	V	Amadob	Gourlla	Bilaspur	22° 38' 1.137" N	81° 44' 20.042" E
6	VI	Kewchi	Gourlla	Bilaspur	22° 37' 40.856" N	81° 47' 18.273" E
7	VII	Chardongri	Gourella	Bilaspur	22° 36' 19.953" N	81° 49' 36.404" E
8	VIII	Kanchidevhar	Gourella	Bilaspur	22° 35' 34.274" N	81° 49' 46.694" E
9	IX	Aurapani	Lormi	Mungeli	22° 29' 23.189" N	81° 31' 3.682" E
10	X	Salgi	Lormi	Mungeli	22° 26' 55.241" N	81° 31' 30.448" E
11	XI	Jhiriya	Lormi	Mungeli	22° 25' 26.822" N	81° 30' 4.090" E
12	XII	Bijra Kachhar	Lormi	Mungeli	22° 25' 31.732" N	81° 33' 7.781" E
13	XIII	Khudiya	Lormi	Mungeli	22° 22' 54.875" N	81° 36' 54.303" E
14	XIV	Jamunahi	Lormi	Mungeli	22° 22' 49.265" N	81° 38' 19.577" E
15	XV	Karidongri	Lormi	Mungeli	22° 21' 18.466" N	81° 36' 52.443" E
16	XVI	Danokhar	Lormi	Mungeli	22° 21' 31.809" N	81° 58' 15.985" E
17	XVII	Kansra	Lormi	Mungeli	22° 20' 52.775" N	81° 37' 26.020" E

18	XVIII	Chhindpura	Lormi	Mungeli	22° 20' 33.735" N	81° 38' 25.970" E
19	XIX	Gunapur	Lormi	Mungeli	22° 19' 15.166" N	81° 43' 2.256" E
20	XX	Bhanwar Tunk	Gourella	Bilaspur	22° 35' 55.020" N	81° 53' 22.100" E
21	XXI	Pitakhar	Gourella	Bilaspur	22° 35' 7.669" N	81° 52' 18.636" E
22	XXII	Tatidhar	Gourella	Bilaspur	22° 34' 38.827" N	81° 53' 7.875" E
23	XXIII	Amagohan	Kota	Bilaspur	22° 33' 56.865" N	81° 54' 47.610" E
24	XXIV	Tuluf	Kota	Bilaspur	22° 31' 29.341" N	81° 56' 51.961" E
25	XXV	Khongsara	Kota	Bilaspur	22° 31' 49.172" N	81° 55' 29.837" E
26	XXVI	Dandbachhali	Kota	Bilaspur	22° 30' 59.797" N	81° 57' 8.164" E
27	XXVII	Pahad Bachhali	Kota	Bilaspur	22° 30' 19.837" N	81° 57' 56.089" E
28	XXVIII	Karwa	Kota	Bilaspur	22° 29' 35.667" N	81° 57' 49.264" E
29	XXIX	Sargond	Kota	Bilaspur	22° 28' 54.724" N	81° 56' 10.085" E
30	XXX	Parsapani	Kota	Bilaspur	22° 28' 14.811" N	81° 55' 39.581" E
31	XXXI	Parsant	Kota	Bilaspur	22° 27' 41.863" N	81° 55' 47.246" E
32	XXXII	Chikhaladabra	Kota	Bilaspur	22° 27' 2.049" N	81° 55' 44.039" E
33	XXXIII	Baheramuda	Kota	Bilaspur	22° 25' 46.387" N	81° 58' 58.527" E
34	XXXIV	Kurdar	Kota	Bilaspur	22° 26' 32.739" N	81° 57' 22.858" E
35	XXXV	Chhuiha	Kota	Bilaspur	22° 26' 26.169" N	81° 55' 24.119" E
36	XXXVI	Chandli Mount	Kota	Bilaspur	22° 24' 32.933" N	81° 57' 1.139" E
37	XXXVII	Majhgaon	Kota	Bilaspur	22° 22' 49.961" N	81° 59' 39.099" E
38	XXXVIII	Ourapani	Kota	Bilaspur	22° 23' 25.265" N	81° 58' 27.002" E
39	XXXIX	Semariya	Kota	Bilaspur	22° 22' 31.570" N	81° 58' 30.240" E
40	XL	Shivtarai	Kota	Bilaspur	22° 21' 2.404" N	81° 56' 14.143" E
41	XLI	Davanpur	Kota	Bilaspur	22° 21' 13.194" N	81° 58' 20.442" E
42	XLII	Parsada	Kota	Bilaspur	22° 20' 30.103" N	81° 57' 38.457" E
43	XLIII	Saraipali	Kota	Bilaspur	22° 19' 26.151" N	81° 56' 3.352" E
44	XLIV	Nagchuwa	Kota	Bilaspur	22° 18' 21.541" N	81° 52' 49.686" E
45	XLV	Dhanras	Kota	Bilaspur	22° 17' 59.795" N	81° 53' 51.114" E
46	XLVI	Dhuma	Kota	Bilaspur	22° 18' 4.901" N	81° 51' 49.787" E
47	XLVII	Karpiha	Kota	Bilaspur	22° 18' 6.361" N	81° 54' 19.161" E
48	XLVIII	Bansajhal	Kota	Bilaspur	22° 17' 6.189" N	81° 51' 10.188" E

DMS: *Degree, Minutes and Seconds.*

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report.—

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.16 12:23:05 +05'30'